न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.102 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 154)	18.09.2024	23.12.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मुरारी आ. श्यामसुन्दर जाति ब्राहमण,
निवासी ग्राम ढसाल्या, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मुरारी आ. श्यामसुन्दर को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 464 / 433 रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाकेग्राम ढसाल्या आवंटन आदेश दिनांक 22.12.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 102 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024 / 154 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार डाबी की रिपोर्ट अनुसार आवंटी मुरारी बाहरी निवासी है। जिसके बारे में किसी ग्रामवासियान को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एवं नायब तहसीलदार डाबी अनुसार आवंटी बाहरी व्यक्ति होने से उसके निवास के बारे में ग्रामवासियान को कुछ भी पता नहीं है तथा आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि मुरारी आ. श्यामसुन्दर जाति ब्राहमण निवासी ढसाल्या को दिनांक 22.12.1975 को भूमि खसरा सं. 3/433 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम ढसाल्या का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम ढसाल्या की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 464/433 रकबा 2.4281 हैक्टेयर पर अप्रार्थी मुरारी पुत्र श्यामसुन्दर ब्राहमण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार, डाबी की रिपोर्ट अनुसार आवंटी बाहरी निवासी है एवं जिसके निवास के बारे में ग्रामवासियों में से किसी को जानकारी नहीं होने से बिना पते के अप्रार्थी तामील करवाया जाना संभव नहीं है। इस प्रकरण में आवंटी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवंटित भूमि पर ग्राम ढसाल्या के मजरा पीलिया के चतरा पुत्र मांगीलाल, रामसिंह पुत्र मांगीलाल द्वारा फसल बोकर काश्त कर कब्जा किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर 48 वर्षो बाद भी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना आदि तथ्यो से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मुरारी आ. श्यामसुन्दर जाति ब्राहमण निवासी ढसाल्या को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 3/433 रकबा 15 बीघा (हाल खसरा सं. 464/433 रकबा 2.4281 हैक्टेयर) वाकेग्राम ढसाल्या दिनांक 22.12.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी